पत्रांक –8 / व3–18 / 2014
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा मे,

महालेखाकार (ले०ह०)
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित — द्वारा–आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना दिनांक................../

विषय– **वित्तीय वर्ष 2014–15 में सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत केन्द्रांश के रूप में सहायक अनुदान मद में स्वीकृत ₹400000.00 लाख (चालीस अरब रुपये) में से सर्व शिक्षा अभियान योजना अन्तर्गत महिला समाख्या कार्यक्रम के संचालन हेतु भारत सरकार से प्राप्त प्रथम किस्त के रूप में केन्द्रीय अनुदान (आवर्ती) कुल ₹190.00 लाख (एक करोड़ नब्बे लाख) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत भारत सरकार के प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड (PAB) के द्वारा कुल ₹792535.28/–लाख (उन्नासी अरब पचीस करोड़ पैंतीस लाख अट्ठाईस हजार रूपये) स्वीकृत किया गया है। इस बजट में 13 वें वित्त आयोग एवार्ड के रूप में ₹97000.00/–लाख (नौ अरब सत्तर करोड़ रूपये) प्रदत्त किया गया है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए ₹97000.00/–लाख (नौ अरब सत्तर करोड़ रूपये) की राशि को छोड़कर शेष बजट की राशि ₹695535.28/–लाख (उनहत्तर अरब पचपन करोड़ पैंतीस लाख अट्ठाईस हजार रूपये) होता है। जिसमें केन्द्रांश ₹452097.93/–लाख (पैंतालीस अरब बीस करोड़ सनतानवे लाख तिरानवे हजार रूपये) एवं राज्यांश ₹243437.35/–लाख (चौबीस अरब चौतीस करोड़ सैंतीस लाख पैंतीस हजार रूपये) होता है।

I. वित्त विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2014–15 में सर्व शिक्षा अभियान योजना के लिए ₹400000.00/–लाख (चालीस अरब रूपये) का बजट प्रावधान कराया गया है। उक्त के विरूद्ध मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 03.06.2014 को ₹400000.00/–लाख (चालीस अरब रूपये) की सहायक अनुदान मद में व्यय की स्वीकृति जैसे–जैसे केन्द्रांश की राशि प्राप्त होगी, वैसे–वैसे राशि विमुक्ति एवं व्यय के प्रस्ताव में स्वीकृति प्राप्त हुई है।

II. भारत सरकार के द्वारा महिला समाख्या कार्यक्रम को सर्व शिक्षा अभियान योजना के साथ समाहित कर दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत महिला समाख्या कार्यक्रम के संचालन हेतु भारत सरकार से प्रथम किस्त में ₹190.00 लाख (एक करोड़ नब्बे लाख) केन्द्रीय अनुदान के मद मे विमुक्त किया गया है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के लिए स्वीकृत केन्द्रांश ₹400000.00/–लाख (चालीस

अरब रूपये) में से ₹190.00 लाख (एक करोड़ नब्बे लाख) सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत महिला समाख्या कार्यक्रम संचालन हेतु विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत केन्द्रांश की राशि ₹190.00 लाख (एक करोड़ नब्बे लाख) के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2014–15 में आय व्ययक के मुख्य शीर्ष – 2202– सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष – 01– प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष – 111 – सर्व शिक्षा अभियान, माँग संख्या –21, उपशीर्ष–0201– सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०), विपत्र कोड– **P** 2202011110201 के विषय शीर्ष–3104–सहायक अनुदान– वेतन से ₹300000.00 लाख (तीस अरब रुपये) में उपबंधित राशि के अंतर्गत राशि से होगा।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में सर्व शिक्षा अभियान योजना के लिए केन्द्रांश मद में ₹4000.00 करोड़ (चालीस अरब रूपये) उपबंधित है।

3. स्वीकृत राशि निदेशक, (प्रा०शि०) के निस्ताराधीन होगी। राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग द्वारा नया सचिवालय, विकास भवन, कोषागार से करके बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् को उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा राशि का व्यय सर्व शिक्षा अभियान की कार्ययोजना एवं बजट में नीहित प्रावधानों के तहत किया जाएगा एवं राशि की निकासी बिहार ट्रेजरी कोड–2011 के नियम 270 के अनुसार बी०टी०सी० फॉर्म 42 पर पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर की जाएगी।

4. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा राशि का व्यय सर्व शिक्षा अभियान की कार्ययोजना एवं बजट में नीहित प्रावधानों के तहत किया जाएगा एवं राशि के व्यय से संबंधी उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में (42 A पुनरीक्षित) निर्धारित अवधि में विभाग के माध्यम से महालेखाकार (ले०एवं ह०) बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि० (2) दिनांक–17.04.1998 के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।

6. वित्त विभाग के पत्रांक 7355/ वि० (2) दिनांक–05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. स्वीकृत्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 8/व०3–21/2014 के पृष्ठ–15/टि० पर प्राप्त है।

8. राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(सुनील कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–...................../ पटना, दिनांक–......................../

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–.......12......../ पटना, दिनांक–....8/7/15..../

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, व्यय शाखा, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/निदेशक, (प्रा०शि०) बिहार, पटना/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/सहायक निदेशक (योजना), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/7/15

सरकार के संयुक्त सचिव